

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 159 सन 2018

अनवान :-

1. रामप्रताप पुत्र चेताराम जाति जाट साकिन उज्जलवास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. मु0 शान्ति देवी पित्त चेताराम जाति जाट साकिन उज्जलवास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. लक्ष्मी पुत्री चेताराम पत्नी ज्ञानीराम जाति जाट साकिन रावलवास कला तहसील हिसार जिला हिसार
3. गुडडी पुत्री चेताराम पत्नी लिलुराम जाति जाट साकिन रावलवास कला तहसील हिसार जिला हिसार
4. सुमन पुत्री कमला जाति जाट साकिन रावलवास कला तहसील हिसार
5. सुरेन्द्र पुत्र कमला जाति जाट साकिन रावलवास कला तहसील हिसार असल प्रतिवादी
6. शंकरलाल पुत्र चेताराम जाति जाट साकिन उज्जलवास तहसील नोहर।
7. सतवीर पुत्र चेताराम जाति जाट साकिन उज्जलवास तहसील नोहर। तरतीबी प्रतिवादी
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री हवासिंह पुनिया अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 20/03/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 11 बरानी के प0न0 380/448(58) किला न0 17 ता 20 ,22 ता 25/2.0240 , प0न0 380/449(75) किला न0 2 ता 4 ,7ता 9 ,12 ता 14/2.2770हैक कुल 4.3010हैक एवं चक 16 डीपीएन के प0न0 372/445(92) किला न0 5 ,6 ,15 ,/0.7590 प0न0 373/445(93) किला न0 1/1 की 0.2280 ,2/1 की 0.2280 ,9 ता 12/1.0120हैक एवं चक 16 डीपीएन के प0न0 372/445(92) किला न0 4/0.0130, 7/0.0130 ,14/0.0120 ,प0न0 373/445 (93) किला न0 1/2 की 0.0250 2/2 की 0.0250 कुल 0.0880हैक भूमि नोरगलाल के नाम से दर्ज थी जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान नत्थुराम चेताराम पुत्र नोरगलाल एवं अनचाई पुत्री है नत्थुराम पुत्र नोरगलाल लावल्द फोत हो चुका है अणचाई पुत्री नोरगलाल ने वाद भूमि में अपना जो भी हक हिस्सा था अपने भाई चेताराम के पक्ष में त्याग किया हुआ है चेताराम पुत्र नोरगलाल भी फोत हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,6 ,7 एवं कमला पुत्री है कमला पुत्री नोरगलाल का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 4 ,5 है चेताराम के फोत होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 ,7 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 ,6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है ।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे जो वादी का पिता मृतक चेताराम , नोरगलाल के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या ,5 ,6 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।



0.2280 ,2/1 की 0.2280 ,9 ता 12/1.0120 हैव भूमि मृतक नोगरलाल के नाम से बतौर खातेदार दर्ज है एवं चक 16 डीपीएन के प0न0 372/445(92) किला न0 4/0.0130, 7/0.0130 ,14/0.0120 ,प0न0 373/445 (93) किला न0 1/2 की 0.0250 2/2 की 0.0250 कुल 0.0880 हैव भूमि नोरगलाल के नाम गैरखातेदारी दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत केवल खातेदार काश्तकार ही धोषणा करवा पाने का अधिकारी है गैरखातेदारी भूमि के सम्बन्ध में धोषणा की जानी न्यायोचित नहीं है अर्थात् चक 16 डीपीएन के खाता संख्या 248/183 की कुल 0.0880 हैव भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की धोषणा नहीं की जा सकती है।


नोगरलाल पुत्र भाउ का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान नत्थुराम चेताराम पुत्र नोरगलाल एवं अनचाई पुत्री है नत्थुराम पुत्र नोरगलाल लावल्द फोट हो चुका है अणचाई पुत्री नोरगलाल ने वाद भूमि में अपना जो भी हक हिस्सा था अपने भाई चेताराम के पक्ष में त्याग किया हुआ है चेताराम पुत्र नोरगलाल भी फोट हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,6 ,7 एवं कमला पुत्री है कमला पुत्री नोरगलाल का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 4 ,5 है अर्थात् वाद भूमि के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या ,1 ता 5 जो वादी की बहन/मातो है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या ,1 ता 5 स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,6 ,7 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 ,7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाप्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि सही मौजा चक 11 बाराणी के प0न0 380/448(58) किला न0 17 ता 20 ,22 ता 25/2.0240 , प0न0 380/449(75) किला न0 2 ता 4 ,7ता 9 ,12 ता 14/2.2770 हैव कुल 4.3010 हैव एवं चक 16 डीपीएन के प0न0 372/445(92) किला न0 5 ,6 ,15 ,/0.7590 प0न0 373/445(93) किला न0 1/1 की 0.2280 ,2/1 की 0.2280 ,9 ता 12/1.0120 हैव भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 6 ,7 बहिब के खातेदार काश्तकार है नोगरलाल पुत्र चेताराम पुत्र नोगरलाल का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलगन 5000/- रु स्टाप्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20/03/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ,6 ,7 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में नोरगलाल के नाम से दर्ज थी जिनका देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान उनके तीनों पुत्र हुए जिनमें से नोरगलाल लावलद फोट हो गया तथा पुत्री अणचाई ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाईयों के पक्ष में किया हुआ है इसप्रकार नोरगलाल के नाम से दर्ज भूमि का चेताराम अकेला वारिस हुआ वर्तमान में चेताराम का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ,6 ,7 है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 ,7 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 ,7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 8 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 11 बारानी के प0न0 380/448(58) किला न0 17 ता 20 ,22 ता 25/2.0240 , प0न0 380/449(75) किला न0 2 ता 4 ,7ता 9 ,12 ता 14/2.2770हैक कुल 4.3010हैक एवं चक 16 डीपीएन के प0न0 372/445(92) किला न0 5 ,6 ,15 ,/0.7590 प0न0 373/445(93) किला न0 1/1 की 0.2280 ,2/1 की 0.2280 ,9 ता 12/1.0120हैक एवं चक 16 डीपीएन के प0न0 372/445(92) किला न0 4/0.0130, 7/0.0130 ,14/0.0120 ,प0न0 373/445 (93) किला न0 1/2 की 0.0250 ,2/2 की 0.0250 कुल 0.0880हैक भूमि नोरगलाल के नाम से दर्ज थी जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान नत्थुराम चेताराम पुत्र नोरगलाल एवं अणचाई पुत्री है नत्थुराम पुत्र नोरगलाल लावलद फोट हो चुका है अणचाई पुत्री नोरगलाल ने वाद भूमि में अपना जो भी हक हिस्सा था अपने भाई चेताराम के पक्ष में त्याग किया हुआ है चेताराम पुत्र नोरगलाल भी फोट हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,6 ,7 एवं कमला पुत्री है कमला पुत्री नोरगलाल का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 4 ,5 है चेताराम के फोट होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 ,7 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 ,6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ,6 ,7 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 11 बारानी के प0न0 380/448(58) किला न0 17 ता 20 ,22 ता 25/2.0240 , प0न0 380/449(75) किला न0 2 ता 4 ,7ता 9 ,12 ता 14/2.2770हैक कुल 4.3010हैक चेताराम प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है एवं चक 16 डीपीएन के प0न0 372/445(92) किला न0 5 ,6 ,15 ,/0.7590 प0न0 373/445(93) किला न0 1/1 की

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. रामप्रताप पुत्र चेताराम जाति जाट साकिन उज्जलवास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. मु० शान्ति देवी पित्त चेताराम जाति जाट साकिन उज्जलवास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. लक्ष्मी पुत्री चेताराम पत्नी ज्ञानीराम जाति जाट साकिन रावलवास कला तहसील हिसार जिला हिसार
3. गुडडी पुत्री चेताराम पत्नी लिलुराम जाति जाट साकिन रावलवास कला तहसील हिसार जिला हिसार
4. सुमन पुत्री कमला जाति जाट साकिन रावलवास कला तहसील हिसार
5. सुरेन्द्र पुत्र कमला जाति जाट साकिन रावलवास कला तहसील हिसार असल प्रतिवादी
6. शंकरलाल पुत्र चेताराम जाति जाट साकिन उज्जलवास तहसील नोहर।
7. सतवीर पुत्र चेताराम जाति जाट साकिन उज्जलवास तहसील नोहर। तरतीबी प्रतिवादी
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 159 सन 2018 निर्णय दिनांक- 20/03/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 11 बाराणी के प०न० 380/448(58) किला न० 17 ता 20, 22 ता 25/20240, प०न० 380/449(75) किला न० 2 ता 4, 7ता 9, 12 ता 14/2.2770हैक् कुल 4.3010हैक् एवं चक 16 डीपीएन के प०न० 372/445(92) किला न० 5, 6, 15, /0.7590 प०न० 373/445(93) किला न० 1/1 की 0.2280, 2/1 की 0.2280, 9 ता 12/1.0120हैक् भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 6, 7 बहिब के खातेदार काश्तकार है नोगरलाल पुत्र चेताराम पुत्र नोगरलाल का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/03/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)